

25 फरवरी 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन

1. वन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. गाजा में इजरायल के युद्ध पर वैश्विक दक्षिण का रुख

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

E. संपादकीय:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण में सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की
2. केंद्र लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग का परीक्षण करेगा
3. केरल ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए एक अग्रणी कदम उठाया है

4. UAE के FATF ग्रे सूची से बाहर निकलने से भारतीय NBFCs में FPI प्रवाह में वृद्धि हो सकती है

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

वन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश क्या है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

शासन

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।

प्रारंभिक: वन अधिनियम के प्रावधान।

मुख्य: वन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश।

प्रसंग: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वन संरक्षण अधिनियम के संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया है, विशेष रूप से 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों के प्रतिउत्तर में।

- यह आदेश संशोधित अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक वनों की मूल परिभाषा के अनुप्रयोग को बनाए रखता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वन के रूप में नामित भूमि के व्यापक रिकॉर्ड का खुलासा करने का भी आदेश दिया है।

वन संरक्षण अधिनियम अवलोकन:

- वनों की कटाई को रोकने के लिए 1980 में अधिनियमित, वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वनों की कमी को रोकना था।
- अधिनियम से पहले, 1951-75 तक लगभग 40 लाख हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो गई थी। अधिनियम ने अपनी प्रभावकारिता को प्रदर्शित करते हुए इस दर को काफी कम कर दिया।
- यह अधिनियम मुख्य रूप से 1980 से भारतीय वन अधिनियम के तहत या राज्यों द्वारा वन के रूप में मान्यता प्राप्त भूमि पर लागू होता है।

वन संरक्षण अधिनियम क्या है?

- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक वन को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जो न्यूनतम 10 हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से उगने वाली इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और उपज देने वाले पेड़ों से ढका हुआ है और, जिसका घनत्व 200 पेड़ प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक है। गोवा वन

को भूमि के एक ऐसे खंड के रूप में परिभाषित करता है जिसका कम से कम 75% भाग वन प्रजातियों से आच्छादित है। कुछ राज्यों के पास इसके लिए कोई पैमाना ही नहीं है।

- वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का केंद्र का हालिया प्रयास "स्पष्टता" लाने के लिए था क्योंकि अभिलिखित-वन भूमि के बड़े हिस्से पहले से ही कानूनी तौर पर गैर-वानिकी उपयोग में लाए जा चुके थे, लेकिन वे राज्य के 'मानित वन' के मानदंडों के अनुरूप थे।

संशोधन किससे संबंधित थे?

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित वन भूमि, और जिसे राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए साफ़ करने की आवश्यकता है, को भी अधिनियम से छूट दी जाएगी।
- सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक माने जाने वाले जंगल में दस हेक्टेयर या 'वामपंथी उग्रवाद' से प्रभावित वन भूमि में पाँच हेक्टेयर वन भी सुरक्षा से वंचित होंगे।

मानित वन अवधारणा:

- ऐतिहासिक गोदावर्मन थिरुमुलपाद फैसले (1996) ने 'मानित वनों' की अवधारणा पेश की, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था लेकिन वे उनसे मिलते जुलते थे।
- राज्यों ने 'वनों' की अलग-अलग व्याख्या की, जिससे वन कवरेज की अलग-अलग परिभाषाएँ और अनुमान सामने आए।
- अलग-अलग परिभाषाओं ने भूमि उपयोग, स्वामित्व और संरक्षण प्रयासों के संबंध में चुनौतियाँ पेश कीं।

केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन:

- सरकार ने स्पष्टता के लिए अधिनियम में संशोधन किया है, विशेष रूप से उन भूमियों के संबंध में जो 'मानित वन' के लिए राज्य के मानदंडों को पूरा करती हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
- संशोधनों का उद्देश्य ऐसी भूमियों को संरक्षण से बाहर करना, भूमि उपयोग और स्वामित्व में चुनौतियों का समाधान करना है।
- संशोधनों ने बुनियादी ढाँचे के विकास और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए कुछ वन भूमि को सुरक्षा से छूट भी दी।

संशोधन के लाभ

- 'वन' की परिभाषा पर स्पष्टता
- जलवायु परिवर्तन शमन और संरक्षण:
- विकास के लिए प्रावधान
- राष्ट्रीय सुरक्षा: अधिनियम कुछ रैखिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे कि सड़कों और राजमार्गों, को वन मंजूरी की अनुमति लेने से छूट देता है यदि वे राष्ट्रीय सीमा के 100 किमी के भीतर स्थित हैं।
- प्रतिपूरक वनीकरण: संशोधन प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे निजी संस्थाओं को वनीकरण या पुनर्वनीकरण परियोजनाएँ शुरू करने की अनुमति मिलती है।

- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना: विधेयक चिड़ियाघरों, सफारी और इकोटूरिज्म की स्थापना जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिनका स्वामित्व सरकार के पास होगा और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का महत्व:

- हाल के संशोधनों को नज़रअंदाज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वनों की मूल परिभाषा को बरकरार रखता है।
- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा माने गए वनों के व्यापक रिकॉर्ड के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है।
- इसके अतिरिक्त, वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क स्थापित करने की योजनाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

समाधान:

- अस्पष्टता और कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए राज्यों में वनों को परिभाषित करने में स्पष्टता और एकरूपता की आवश्यकता है।
- टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करना।
- वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन अधिकार अधिनियम जैसे मौजूदा कानून को मजबूत करना।

सारांश:

- सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश वन संरक्षण अधिनियम के मूल इरादे को बरकरार रखता है और वन वर्गीकरण में पारदर्शिता पर जोर देता है। यह संतुलित नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो विकास की जरूरतों को समायोजित करते हुए वनों की रक्षा करती हैं, जिसका लक्ष्य अंततः टिकाऊ वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करना है।

[गाजा में इजरायल के युद्ध पर वैश्विक दक्षिण का रुख](#)

[सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित](#)

[अंतर्राष्ट्रीय संबंध](#)

[विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।](#)

[प्रारंभिक परीक्षा: गाजा पट्टी](#)

[मुख्य परीक्षा: गाजा में इजराइल के युद्ध पर वैश्विक दक्षिण का रुख](#)

प्रसंग:

- इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष, विशेष रूप से हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद गाजा में इजराइल की कार्रवाई ने महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में हाल की सुनवाई ने इजराइल के कार्यों को लेकर पश्चिमी देशों और वैश्विक दक्षिण के बीच विभाजन को और उजागर कर दिया है।

ICJ की सुनवाई का अवलोकन:

- ICJ की सुनवाई दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर शुरू की गई थी। वे 1967 के युद्ध के बाद से कब्जे, बस्तियों के निर्माण, विलय और फिलिस्तीनियों के प्रति भेदभावपूर्ण कार्यों के संबंध में इजरायल की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- फिलिस्तीन के नेतृत्व में और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सुनवाई में 52 राज्यों और तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

प्रमुख वक्ता और स्थिति:

- वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश वक्ताओं ने इजराइल के कार्यों की आलोचना की है और युद्ध अपराधों के लिए न्यायिक जवाबदेही की मांग की है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P-5 सदस्यों सहित पश्चिमी देशों ने आत्मरक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए इजराइल के कार्यों का बचाव किया है।
- फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी ने इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे नृजातीय संहार, रंगभेद या नरसंहार करार दिया।
- आयरलैंड जैसे कुछ पश्चिमी देश, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा में बल के उपयोग पर सीमाओं को उजागर करके व्यापक पश्चिमी रुख से अलग हो गए।

ब्राजील-इजराइल संबंध और हालिया तनाव:

- ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ सहयोगी रहे ब्राजील और इजराइल ने हाल ही में तनाव का अनुभव किया है, विशेष रूप से इजरायली कार्रवाई की ब्राजील द्वारा आलोचना के कारण।
- राष्ट्रपति लूला डी सिलवा की ज्ञायोनीवाद की आलोचना और इजरायली कार्रवाई की तुलना नरसंहार से करने पर कूटनीतिक नतीजे सामने आए, और इजरायल ने उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया।

भारत की स्थिति:

- भारत ने ऐतिहासिक रूप से इजरायल के कब्जे और फिलिस्तीनी क्षेत्र के विलय की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन किया है।
- हालाँकि, भारत ने एक सूक्ष्म रुख बनाए रखा है, कुछ वोटों से अनुपस्थित रहते हुए दूसरों के पक्ष में मतदान किया है।
- इस मुद्दे पर भारत की सार्वजनिक टिप्पणियाँ न्यूनतम रही हैं, जो रणनीतिक हितों, विशेष रूप से इजराइल के साथ रक्षा सहयोग के साथ क्षेत्रीय अपेक्षाओं को संतुलित करने की इच्छा को दर्शाती है।
- जबकि भारत ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त की है, वहीं इजराइल के साथ उसके रक्षा संबंध और आर्थिक हित उसकी स्थिति को जटिल बनाते हैं।

वैश्विक दक्षिण के रुख का महत्व:

- इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में वैश्विक दक्षिण देशों का एकजुट होना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बदलाव को रेखांकित करता है।
- यह गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही के लिए विकासशील देशों के बीच बढ़ती आम सहमति का संकेत देता है।

वैश्विक दक्षिण बनाम वैश्विक उत्तर

- 1) ब्रांट लाइन 1980 के दशक में विली ब्रांट द्वारा प्रस्तावित की गई थी।

- 2) यह एक काल्पनिक रेखा है जो दुनिया को अमीर देशों (मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में) और गरीब देशों (ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में) में विभाजित करती है।
- 3) रेखा मूल रूप से उत्तरी देशों और दक्षिणी देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक विभाजन को दर्शाती है।

वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने के भारत के प्रयास

- नई दिल्ली घोषणा- भारत ने नई दिल्ली घोषणा में ऋण वित्तपोषण, जलवायु न्याय और लैंगिक समानता जैसे वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को शामिल करने के लिए G-20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए G-20 अध्यक्षता का उपयोग किया।
- G-20 का विस्तार: अफ्रीकी संघ का समावेश
- वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
- वैक्सीन मैत्री
- अधिक प्रतिनिधि बहुपक्षीय मंच
- जलवायु न्याय

समाधान:

- इजराइल-गाजा संघर्ष के अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए राजनयिक संवाद और बातचीत को प्रोत्साहित करना।
- मानवाधिकारों और मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन को बढ़ावा देना।

सारांश:

- ICJ की सुनवाई और गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के आसपास व्यापक चर्चा जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करती है। पश्चिमी देशों और वैश्विक दक्षिण के बीच विभाजन संप्रभुता, आत्मरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। भारत का सूक्ष्म रुख अपने रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय संबंधों की रक्षा करते हुए इन जटिलताओं से निपटने के उसके प्रयासों को दर्शाता है।

संपादकीय-द हिन्दू

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण में सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की :

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों के उद्घाटन के दौरान किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सहकारी समितियों

की सामूहिक शक्ति पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने किसानों के सामने आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों का समाधान करने में समितियों की क्षमता को रेखांकित किया।

सहकारिता पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियाँ:

- प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग के महत्व की सराहना की, किसानों को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- उन्होंने सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से किसानों के सामने आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला।

पहलों का उद्घाटन:

- प्रधान मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया, जिसमें 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACs) शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने सहकारी पहल के तहत गोदामों के निर्माण और कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स (PACs) की स्थापना की आधारशिला रखी।
- नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

सहकारी लाभों का विस्तार:

- श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समितियों की भावना पारंपरिक सीमाओं से परे है और कृषि से परे असाधारण परिणाम देती है।
- उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र में 25,000 से अधिक कार्यात्मक सहकारी इकाइयों के साथ मत्स्य पालन जैसे अन्य क्षेत्रों में सहकारी लाभों के विस्तार पर ध्यान दिया।
- प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों की समावेशी प्रकृति को रेखांकित किया, जो अब मछुआरों और पशुपालकों को समर्थन प्रदान करती है, पारंपरिक खेती से परे उनके प्रभाव बढ़ाती है।

सहकारी सशक्तिकरण का महत्व:

- सहकारी समितियाँ किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करके, संसाधनों, बाजारों और सहायता प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई पहल सहकारी प्रयासों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है।
- सहकारी मॉडल का लाभ उठाकर, किसान लचीलेपन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं।

2. केंद्र लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग का परीक्षण करेगा :

प्रसंग:

- केंद्र सरकार लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर संविधान की छठी अनुसूची के संभावित कार्यान्वयन के संबंध में। यह निर्णय नागरिक समाज के नेताओं और गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद लिया गया है, जो लद्दाख के शासन ढांचे में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

छठी अनुसूची को समझना:

- अनुच्छेद 244 में उल्लिखित संविधान की छठी अनुसूची, स्वायत्त विकास परिषदों की स्थापना को सक्षम करके आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।
- इन परिषदों को भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय शासन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
- वर्तमान में, 10 स्वायत्त परिषदें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानीय स्वायत्तता वाली संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।

लद्दाख में मांगें और चर्चाएं:

- लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सदस्यों ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की वकालत की है।
- उनकी मांगों में लद्दाख के लिए जनजातीय दर्जा, निवासियों के लिए नौकरी में आरक्षण तथा लेह और कारगिल के लिए संसदीय प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
- नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठकों ने लद्दाख की आकांक्षाओं के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे आगे के विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

छठी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लाभ

1. शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण-छठी अनुसूची ने स्वायत्त जिला परिषदों, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, के निर्माण के माध्यम से शक्तियों के लोकतांत्रिक हस्तांतरण में मदद की है।
2. सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण- उदहारण के लिए बोडोलैंड की बोडो भाषा को संरक्षित किया गया।
3. जनजातीय भूमि अधिकारों का संरक्षण- स्वायत्त परिषदों को भूमि, वन और मत्स्य पालन जैसे मामलों पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करके।
4. अनुदान निधि- छठी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें।
5. सतत सामाजिक-आर्थिक विकास- किसी क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने से स्थिरता के प्रमुख गुण के अनुरूप क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।

आश्वासन और संकल्प:

- गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने लद्दाखी प्रतिनिधियों को सेवा चयन बोर्ड की स्थापना और पूर्वोत्तर राज्यों में छठी अनुसूची क्षेत्रों के समान राजपत्रित नौकरियों के प्रावधान जैसे मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया है।
- LAB और KDA के बीच एकता चर्चा के दौरान प्रगति हासिल करने में सहायक रही है, जो लद्दाख की चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित करने के सामूहिक प्रयास को दर्शाती है।

लद्दाख में चुनौतियाँ और विरोध:

- अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से लद्दाख में भूमि अधिकारों, संसाधन सुरक्षा, रोजगार के अवसरों और नौकरशाही हस्तक्षेप से संबंधित चिंताओं पर विरोध प्रदर्शन देखा गया है।
- संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग क्षेत्र में शासन और प्रतिनिधित्व के संबंध में स्थानीय लोगों के बीच व्यापक चिंताओं को दर्शाती है।

3. केरल ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए एक अग्रणी कदम उठाया है :

प्रसंग:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से H1 नियम को लागू करने की केरल की पहल, भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक अग्रणी कदम है। सराहनीय होते हुए भी, विभिन्न अंतर्निहित चुनौतियों के कारण इस उपाय का प्रभाव तत्काल नहीं हो सकता है। बहरहाल, केरल का सक्रिय दृष्टिकोण AMR को संबोधित करने के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है।

H1 नियम को लागू करने में चुनौतियाँ:

- 2011 में भारत सरकार द्वारा पेश किए गए H1 नियम का उद्देश्य AMR से निपटने के लिए डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री को विनियमित करना था।
- हालाँकि, पूरे भारत में विविध स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य के कारण, इस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण ऐसे संशोधन हुए हैं जो डॉक्टर के नुस्खे के बिना कुछ एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री की अनुमति देते हैं।
- ऑपरेशन अमृत के तहत केरल द्वारा हाल ही में मूल H1 नियम को अपनाना, प्रचलित मानदंडों से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करता है।

केरल में कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने वाले कारक:

- केरल का उच्च डॉक्टर-रोगी अनुपात, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, H1 नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- राज्य की उच्च साक्षरता दर नियमों के पालन के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे अनुपालन में वृद्धि होती है।
- ऑपरेशन अमृत इन कारकों का लाभ उठाकर H1 नियम को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करता है, जो किसी भी श्रेणी के एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद के लिए डॉक्टर के पर्चे को अनिवार्य बनाता है।

AMR के मूल कारणों को संबोधित करना:

- डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक और अतार्किक एंटीबायोटिक नुस्खे AMR में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो जीवाणु संक्रमण की सटीक पहचान करने के लिए उन्नत नैदानिक सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं की सीमाओं के बारे में शिक्षित करना और अनावश्यक चिकित्सक सलाह अनुरोधों को हतोत्साहित करना AMR से निपटने में महत्वपूर्ण कदम हैं।

- केरल में अस्पतालों द्वारा अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों की दरों का खुलासा करने की आवश्यकता AMR के सामाजिक-आर्थिक आयामों को स्वीकार करती है और संक्रमण संचरण को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार के महत्व को रेखांकित करती है।

AMR से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियाँ:

- H1 नियम को लागू करने के अलावा, केरल को अस्पतालों में एंटीबायोटिक के उपयोग को तर्कसंगत बनाने तथा कृषि और पशुपालन में एंटीबायोटिक के वृद्धि-संवर्धक उपयोग पर रोक लगाने पर ध्यान देना चाहिए।
- AMR की उभरती प्रकृति को संबोधित करने के लिए उद्यमशीलता उपक्रमों का समर्थन करके नए एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक्स और टीकों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण रोकथाम मानकों पर केरल के जोर और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी संक्रमण दरों की अनिवार्य रिपोर्टिंग से AMR से संबंधित मौतों को कम करने में दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

4. UAE के FATF ग्रे सूची से बाहर निकलने से भारतीय NBFCs में FPI प्रवाह में वृद्धि हो सकती है :

प्रसंग:

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हाल ही में लगभग दो वर्षों के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकल गया। इस विकास से भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के प्रवाह में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। UAE को ग्रे सूची से हटाने से विनियामक प्रतिबंधों के कम होने और विशेष रूप से NBFCs जैसे विनियमित क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय NBFCs में निवेश पर प्रभाव:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2021 में जारी एक परिपत्र में निर्दिष्ट किया गया था कि FATF गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकार से NBFCs में किए गए निवेश को अनुपालन क्षेत्राधिकार वालों की तुलना में समान व्यवहार का लाभ नहीं मिलेगा।
- ग्रे सूची में शामिल होने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात सहित गैर-अनुपालक FATF क्षेत्राधिकार के निवेशकों को भारतीय NBFCs में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
- UAE के ग्रे सूची से बाहर निकलने से इन प्रतिबंधों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे UAE के निवेशक भारतीय NBFCs में अधिक स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकेंगे।

आसान नियामक वातावरण:

- RBI ने पहले UAE के FATF की ग्रे-लिस्ट में शामिल होने के कारण मॉरीशस में स्थित निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निधि मार्ग से NBFCs में निवेश के लिए कई आवेदनों को खारिज कर दिया था।
- UAE के ग्रे सूची से बाहर निकलने के साथ, भारत स्थित निधियों और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में निवेश चाहने वाले UAE निवेशकों पर लगाए गए समान प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की उम्मीद है।
- नियमों में इस छूट से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार निवेश और सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से भारतीय NBFCs में FPI प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

FPI प्रवाह में संभावित उछाल:

- विशेषज्ञों का अनुमान है कि UAE को FATF की ग्रे सूची से हटाने से अगले दो वर्षों में भारत में FPI प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
- संयुक्त अरब अमीरात से FPI के लिए नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं में ढील और बेहतर नियामक माहौल से क्षेत्र से भारतीय बाजारों, विशेषकर NBFCs में बड़े निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
- भारत में बड़ी संख्या में FPI पंजीकरण के साथ UAE के ग्रे सूची से बाहर निकलने के बाद भारत में FPI प्रवाह के लिए शीर्ष क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है।

UAE के फंड क्षेत्राधिकार में वृद्धि:

- FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने से फंड क्षेत्राधिकार के रूप में UAE की प्रतिष्ठा संभावित रूप से बढ़ सकती है या बहाल हो सकती है, जिससे भारत में गिफ्ट IFSC जैसे अन्य वित्तीय केंद्रों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा हो सकती है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक रूपरेखा समझौते सहित द्विपक्षीय समझौतों पर हाल ही में हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच निवेश में वृद्धि की संभावना को और मजबूत करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए UAE के बाहर निकलने का महत्व:

- नियामक बाधाओं को दूर करने और संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय NBFCs में निवेश का प्रवाह भारतीय वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- वित्तीय क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग बढ़ने से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के लिए अधिक आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ढोला-सदिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, भारत में एक बीम पुल है, जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है।
2. यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किमी लंबा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: c

व्याख्या: ढोला-सदिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, भारत में एक बीम पुल है, जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किमी लंबा है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है।
2. सूर्य किरण अभ्यास जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: a

व्याख्या: वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है।

सूर्य किरण- यह भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। 354 जवानों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है।

प्रश्न 3. बृहस्पति का सबसे बड़ा, और पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा कौन-सा है?

- (a) कैसिनी
- (b) मिमास
- (c) ट्राइटन
- (d) गेनीमेड

उत्तर: d

व्याख्या: गेनीमेड बृहस्पति का, और पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा भी है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निक्षय पोषण योजना भारत में एड्स रोगियों को भोजन खरीदने के लिए प्रति माह 500 रुपये प्रदान करने की एक सरकारी योजना है।

2. नि-क्षय मित्र एक पहल है जो टीबी का इलाज करा रहे लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉरपोरेट्स, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: **b**

व्याख्या: निक्षय पोषण योजना NHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसे अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था। इसके तहत, प्रत्येक टीबी रोगी को 500 रुपये का मासिक नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के रूप में प्रदान की जाएगी। नि-क्षय मित्र एक पहल है जो टीबी का इलाज करा रहे लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉरपोरेट्स, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

प्रश्न 5. शब्द 'डेनिसोवन (Denisovan)' कभी-कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है?

- (a) एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म
(b) एक आदिमानव जाति (स्पीशीज़)
(c) पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र
(d) भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प

उत्तर: **b**

व्याख्या: शब्द 'डेनिसोवन (Denisovan)' कभी-कभी समाचार माध्यमों में प्रारंभिक मानव प्रजाति के संदर्भ में आता है?

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. इज़राइल-हमास संघर्ष में भारत की स्थिति वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की भारत की आकांक्षाओं के विपरीत है। क्या आप सहमत हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ([India's position in the Israel - Hamas conflict is in conflict with India's aspirations of leading the Global South. Do you agree? Critically Analyze.](#))

(250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

प्रश्न 2. वन अधिनियम में हाल के संशोधनों में बहुत सारी कमियाँ छूट गई हैं। चर्चा कीजिए। ([The recent amendments in the Forest Act have left a lot of holes unplugged. Discuss.](#))

(250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - III, पर्यावरण)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

